

# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ।

ब्यु. नं. ३२२०१८९९९४५२४९२८

संख्या—६९७—कार्य—चौदह/पाकालि/२०१५—६के/२०१५/निदेशक(वितरण)

दिनांक: ३० / ०६ / २०१५

- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/केस्को।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
- निदेशक (विद्युत सुरक्षा), उ०प्र० शासन, विद्युत सुरक्षा निदेशक, विभूति खण्ड—२, लखनऊ।
- समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, डिस्काम/मुख्य अभियन्ता, लेसा/मुख्य अभियन्ता, केसा।
- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, डिस्काम।
- समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, डिस्काम।

**विषय:**— नये विद्युत संयोजन निर्गत करने एवं जमा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को त्वरित गति से सम्पादित करने के दृष्टिगत वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया का सरलीकरण।

प्रायः देखा गया है कि, नये विद्युत संयोजन निर्गत करने एवं जमा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को सम्पादित करने में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। इस विलम्ब के कारण प्रायः उपभोक्ताओं का भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कारपोरेशन की छवि भी खराब होती है। इस तथ्य के दृष्टिगत वर्तमान व्यवस्था में निम्नवत् प्रक्रिया के अनुसार संयोजन निर्गत करने के लिए निर्देशित किया जाता है:-

- नये विद्युत संयोजनों के आवेदन हेतु सप्लाई कोड—२००५ के छठवें संशोधन के अनुसार मात्र निम्नांकित प्रपत्रों की आवश्यकता होगी :—
  - Work completion certificate and Test Report (B&L form) in respect of Factory/ Industry/ Premises/ Establishment/ House, where supply is desired, indicating tentative position of meter.
  - Documentary evidence in support of lawful occupation of the premises. If such documentary evidence is not available then the applicant shall provide indemnity bond as specified by the licensee.
- नये विद्युत संयोजनों का आवेदन सिंगल विंडो माध्यम से 'आन लाइन' ([apps.upptcl.org/eobsns/newconnectionfrmselectzone.aspx](http://apps.upptcl.org/eobsns/newconnectionfrmselectzone.aspx)) पर स्वीकार किया जाएगा।
- नये विद्युत संयोजन के आवेदन की तिथि से तीन कार्य दिवसों के अन्दर सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा परिसर का उपभोक्ता के साथ निरीक्षण किया जायेगा। अगले चार कार्य दिवसों में खण्ड कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर ग्रावकलन/लाइन डायग्राम की तकनीकी स्वीकृति एवं अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर उपभोक्ता को नियम एवं शर्तें निर्गत कर दी जायेगी।
- प्रोसेसिंग शुल्क, जमानत धनराशि एवं सिस्टम लोडिंग चार्जेस के अतिरिक्त उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट([uppcl.org](http://uppcl.org)) पर उपलब्ध कारट डेटा बुक के आधार पर प्रॉफ़ेलन बनाकर सुपरविजन चार्जेस हेतु उपभोक्ता को नियम व शर्तें प्रेषित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में लाइन चॉर्ट नये संयोजन के आवश्यक विभव हेतु उपलब्ध निकटतम पोल से तथा स्वतंत्र ११के०वी० पोषक की दशा में निकटतम ३३/११के०वी० उपकेन्द्र से व स्वतंत्र ३३के०वी० पोषक की आवश्यकता में निकटतम २२०/१३२ के०वी० उपकेन्द्र से ही बनाया जायेगा।
- आवेदक द्वारा जमा की गई धनराशि डीडी/आरटीजीएस के द्वारा डिस्काम को प्रेषित की जायेगी।
- जमा योजना के अन्तर्गत पैकेज बनाने की व्यवस्था जो सामान्यतया विभागीय कार्यों में धन एवं सामग्री की उपलब्धता हेतु लागू की गयी थी, को समाप्त किया जाता है।
- विद्युत संयोजन स्वीकृत किये जाने के उपरान्त, संयोजन के निर्गत करने से पूर्व यदि किसी वितरण तन्त्र यथा लाइन एवं उपसंस्थान आदि के निर्माण की आवश्यकता होती है तो तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा स्वयं अपने व्यय पर कराया जायेगा।
- यदि उपभोक्ता द्वारा जमा योजना के अन्तर्गत ही कार्य सम्पादन का विकल्प लिया जाता है तो ऐसी अवस्था में सम्बन्धित डिस्काम द्वारा आवश्यक निर्माण कार्य टर्न—की आधार पर इन्पेनेल्ड कार्यदायी संस्थाओं में से किसी भी संस्था द्वारा उपभोक्ता से विकल्प लेकर सम्पादित कराया जायेगा। इन्पेनेल्ड संस्थाओं के कार्य की वार्षिक दरें भी डिस्काम द्वारा वर्षवार तय कर दी जायेगी।
- किसी संयोजन को अवमुक्त करने हेतु वितरण तन्त्र के विस्तार एवं २२०/१३२के०वी० उपसंस्थान पर आवश्यक 'बी' के निर्माण का व्यय उपभोक्ता द्वारा देय होगा तथा वितरण तन्त्र के ट्रांसफार्मेशन में आवश्यक क्षमता वृद्धि का व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
- एक०टी०/इ०एच०टी० संयोजनों के निर्गमन से पूर्व उपभोक्ता द्वारा सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत विद्युत सुरक्षा प्रमाण—पत्र एवं बी एण्ड एल फार्म कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- एल०टी० उपभोक्ताओं के प्रकरणों में विद्युत सुरक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के ०७ दिनों के अन्दर सुरक्षा निदेशालय से कोई आपत्ति दर्ज न कराये जाने की स्थिति में बिना किसी अनापत्ति प्रमाण—पत्र के संयोजन अवमुक्त कर दिया जायेगा।
- इलेक्ट्रोसिटी सप्लाई कोड २००५ की धारा ४.९ (द) के अनुसार ३३ के०वी० लाइनों पर १० एमवीए तक भार निर्गत करने की व्यवस्था है। ३३ के०वी० पर १० एम०वी०ए० से अधिक का भार प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात् निर्गत किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ—२ पर

(2)

13. भार स्वीकृति एवं संयोजन निर्गमन का कोड में दिये गये समयानुसार निर्गत करने की जिम्मेदारी संयोजन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की होगी जिसका प्रति माह अनुश्रवण उससे एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसकी पुष्टि का दायित्व उससे एक और स्तर ऊपर के अधिकारी का होगा।
14. उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में किसी भी अधिकारी स्तर से ऐसे आदेश जारी नहीं किये जा सकेंगे जिससे कि संयोजन स्वीकृति एवं निर्गमन आदि में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलम्ब हो।
15. वितरण तंत्र के विकास का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त 8 दिनों में के अन्दर विद्युत संयोजन अवमुक्त कर दिया जायेगा। इस प्रकार कारपोरेशन द्वारा कुल 15 दिनों की समय सीमा के भीतर नया विद्युत संयोजन अवमुक्त कर दिया जायेगा।
16. अन्य व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं यथावत् रहेंगी।



प्रभाकर निदेशक

संख्या— 697 —कार्य—चौदह/पाकालि/2015-6-के/2015/निदेशक(वितरण) तददिनांक 30.6.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक(काठोप्र० एवं प्रशास०), उठोप्र० पावर कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक(वित्त), उठोप्र० पावर कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक(वितरण), उठोप्र० पावर कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग), उठोप्र० पावर कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(वाणिज्य), उठोप्र० पावर कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक(काठोप्र० एवं प्रशास०), उठोप्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक(आपरेशन), उठोप्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. निदेशक(कार्य एवं परियोजना), उठोप्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त निदेशकगण, मध्यान्वल—लखनऊ /पश्चिमान्वल—मेरठ /दक्षिणान्वल—आगरा /पूर्वान्वल—वाराणसी /केस्को—कानपुर।
10. मुख्य अभियन्ता पारेषण(पूर्व)—वाराणसी /पारेषण(पश्चिम)—मेरठ /पारेषण(दक्षिण)—आगरा /पारेषण (मध्य) —लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब) शक्ति भवन, लखनऊ।



(आर०क० श्रीवास्तव)  
उपसचिव (कार्य)